(रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 274] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 12, 1984/ज्येष्ठ 22, 1906
No. 274] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 12, 1984/JYAISTHA 22, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 12 जून, 1984

आदेश

का. आ. 439(अ) :—केन्द्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रियात्मक) नियम, 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के औद्योगिक उपकरणों और वैज्ञानिक उपकरणों के विनिर्माण और उत्पादन में लगे हुए अनुसूचित उद्योग के लिए विकास परिषद् का गठन करने वाले आदेश सं. का. आ. 277(अ), तारीख 4 अप्रैल, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त आदेश में :—

क्रम सं. 17 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा

जाएगा, अर्थात् :—

"17. श्री जी. वेंकटरमणन्, संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली, —सदस्य"

[सं. आई एल ई-3(5)/76]

जी. वेंकटरमणन्, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 12th June, 1984

ORDER

S.O. 439(E).—In exercise of the powers conferred by section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 2, 4 and 5 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 277(E), dated the 4th April, 1983 constituting a Development Council for the scheduled industry engaged in the manufacture and production of industrial instruments and scientific instruments, namely : —

2. In the said Order :—

for serial No. 17 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"17. Shri G. Venkataramanan, Joint Secretary, Department of Industrial Development, New Delhi.

—Member."

[No. ILE-3(5)[76]

G. VENKATARAMANAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984